इकाई 8 औद्योगिक नीति

इकाई की रूपरेखा

8.0 उद्देश्य
8.1 प्रस्तावना
8.2 औद्योगिक अधिनियम, 1951
  8.2.1 उद्देश्य
  8.2.2 अधिनियम के उपबंध
8.3 औद्योगिक नीति संकल्प, 1948
  8.3.1 उद्देश्य
  8.3.2 विशेषताएँ
  8.3.3 आलोचनात्मक मूल्यांकन
8.4 औद्योगिक नीति संकल्प, 1956
  8.4.1 उद्देश्य
  8.4.2 विशेषताएँ
  8.4.3 आलोचनात्मक मूल्यांकन
8.5 औद्योगिक लाइसेन्सिंग नीति: 1970 और उसके पश्चात्
  8.5.1 वर्ष 1970 की औद्योगिक लाइसेन्सिंग नीति
  8.5.2 वर्ष 1973 का नीति वक्तव्य : वर्ष 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प में संशोधन
8.6 अस्सी के दशक में उदारीकृत औद्योगिक नीतियाँ
8.7 सारांश
8.8 शब्दावली
8.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें एवं संदर्भ
8.10 बोध प्रश्नों के उत्तर अथवा संकेत

8.0 उद्देश्य

यह इकाई स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की अवधि में देश के औद्योगिकरण में भारत सरकार की सक्रिय भूमिका की समग्र तस्वीर प्रस्तुत करती है। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :

- वर्ष 1948 और 1956 के दो प्रमुख औद्योगिक नीति संकल्पों को समझ सकेंगे;
- संकल्पों के अंग के रूप में स्वीकार किए गए उपायों को जान सकेंगे; और
- उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन कर सकेंगे।

8.1 प्रस्तावना

औद्योगिक नीति से अभिप्राय देश में औद्योगिक विकास के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई रणनीति से है। आरम्भ में औद्योगिक नीतियाँ सामान्यतया (क) मिश्रित अर्थव्यवस्था, और (ख) समाजवादी नियोजन के ढाँचा के अंदर ही स्वीकार की गई थी। इसका उद्देश्य सरकार द्वारा "उल्लेखनीय उपलब्धियों" पर आधिपत्य जमाना और उसके द्वारा अर्थव्यवस्था को वांछित दिशा में ले जाना था। भारत में, इसके लिए भी कतिपय औद्योगिक नीति उपाय किए गए हैं। जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, अर्थव्यवस्था का औद्योगिक आधार अत्यन्त

ही छोटा था और उद्योग कई समस्याओं जैसे कच्चे मालों की कमी, पूँजी का अभाव, तनावपूर्ण औद्योगिक संबंध इत्यादि से घिरे हुए थे। निवेशक नई राष्ट्रीय सरकार की औद्योगिक नीति के बारे में आश्वस्त नहीं थे और औद्योगिक (और निवेश) परिवेश अनिश्चितताओं तथा आशंकाओं से व्याप्त था। इस प्रकार सरकार ने स्थिति को सुधारने और निवेशकों तथा उद्यमियों के मन से अनिश्चितता एवं आशंकाओं को निकालने के लिए दिसम्बर 1947 में औद्योगिक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन ने औद्योगिक शांति के लिए एक संकल्प स्वीकार किया और सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के बीच उद्योगों के स्पष्ट विभाजन की सिफारिश की।

8.2 औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951

देश में औद्योगिक विकास को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए संसद द्वारा अक्टूबर, 1951 में एक अधिनियम पारित किया गया जिसे उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के नाम से जाना जाता है। यह अधिनियम 8 मई, 1952 से लागू हो गया। यद्यपि कि इसका लक्ष्य निजी क्षेत्र का विकास और विनियमन दोनों था, परन्तु वर्षों बीतने पर भी इसका मुख्य कार्य विनियमन पहलू पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना रहा है। इस भाग में आप इसके उद्देश्यों और उपबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।

8.2.1 उद्देश्य

यह अधिनियम इन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता था, वे (i) नियोजन प्राथमिकताओं और लक्ष्यों के अनुरूप औद्योगिक निवेश तथा उत्पादन का विनियम; (ii) बृहत् उद्योगों की प्रतिस्पर्धा से छोटे उद्यमियों का संरक्षण; (iii) एकाधिकार और उद्योगों के स्वामित्व के केन्द्रीकरण का निवारण; और (iv) अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रदेशों के विकास के स्तरों में विषमता को कम करने की दृष्टि से संतुलित प्रादेशिक विकास। यह आशा की गई थी कि औद्योगिक लाइसेन्सिंग की व्यवस्था के माध्यम से राज्य :

i) सर्वाधिक प्रमुख शाखाओं में प्रत्यक्ष निवेश कर सकेगा;

ii) घरेलू बाज़ार में आपूर्ति और माँग के बीच परस्पर संबंध स्थापित कर सकेगा;

iii) प्रतिस्पर्धा समाप्त कर सकेगा; और

iv) सामाजिक पूँजी का अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित कर सकेगा।

8.2.2 अधिनियम के उपबंध

औद्योगिक अधिनियम के दो उपबंधों का प्रतिबंधात्मक उपबंध और सुधारात्मक उपबंध में विभेद किया जा सकता है।

I प्रतिबन्धात्मक उपबंध

इस श्रेणी के अंतर्गत उद्योगों द्वारा अपनाए जाने वाले अनुचित व्यवहारों को नियंत्रित करने के सभी उपाय सम्मिलित हैं। ये उपबंध निम्नवत् थे :

i) औद्योगिक उपक्रमों का पंजीकरण और लाइसेन्सिंग

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की अनुसूची में शामिल किए गए सभी उद्योगों के उपक्रमों का चाहे वे निजीक्षेत्र में हों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र में, पंजीकरण अपेक्षित है। यदि विद्यमान उपक्रम अपने कार्यकलापों का विस्तार भी करना चाहते थे तो उन्हें सरकार की पूर्वानुमति की आवश्यकता थी।

ii) अनुसूची में सूचीबद्ध उद्योगों की जाँच

राज्य का उत्तरदायित्व उपक्रमों के पंजीकरण अथवा उन्हें लाइसेन्स प्रदान करने के साथ ही नहीं समाप्त हो जाता है। यदि किसी विशेष उपक्रम का कार्यकरण संतोषप्रद नहीं था (उदाहरण के लिए मान लीजिए, क्षमता का कम उपयोग हो रहा था अथवा, उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी नहीं थी अथवा उत्पादन लागत और मूल्य अत्यधिक थे), सरकार उस विशेष उपक्रम के कार्यों की पड़ताल के लिए जाँच बैठा सकती है; और

iii) पंजीकरण और लाइसेन्स का उन्मूलन (रद्द करना)

यदि कोई विशेष औद्योगिक उपक्रम ने गलत जानकारी देकर औद्योगिक लाइसेन्स और पंजीकरण प्राप्त कर लिया था तो सरकार पंजीकरण को रद्द कर सकती है। इसी तरह से सरकार, यदि विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर उपक्रम स्थापित नहीं किया जाता है, तो उसके लाइसेन्स को रद्द कर सकती है।

II सुधारात्मक उपबंध

इस श्रेणी में निम्नलिखित उपबंधों पर विचार किया गया :

i) सरकार द्वारा प्रत्यक्ष विनियमन अथवा नियंत्रण

यदि सरकार यह महसूस करती है कि कोई विशेष उद्योग संतोषप्रद ढंग से नहीं चलाया जा रहा था तो यह सुधार के लिए दिशा निर्देश ज़ारी कर सकती थी। यदि इन दिशा निर्देशों पर ध्यान नहीं दिया गया सरकार उस इकाई का प्रबन्धन और नियंत्रण अपने हाथ में ले सकती थी।

ii) मूल्य, वितरण, पूर्ति इत्यादि पर नियंत्रण

इस अधिनियम में सरकार को, यदि वह ऐसा चाहे, अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध उद्योगों की इकाइयों द्वारा विनिर्मित उत्पादों की आपूर्ति, वितरण और मूल्य विनियमित अथवा नियंत्रित करने का अधिकार प्राप्त था; और

iii) रचनात्मक उपाय

परस्पर विश्वास पैदा करने तथा कर्मकारों से सहयोग प्राप्त करने के लिए सरकार ने केन्द्रीय सलाहकार परिषद् और विभिन्न उत्पादों के लिए कई विकास परिषदों की स्थापना की।

बोध प्रश्न 1

1) औद्योगिक अधिनियम 1951 के मुख्य उद्देश्य क्या थे ?

.....

.....

.....

.....

.....

2) बताइए निम्नलिखित कथन सही हैं अथवा गलत :

क) उपबंध में, सरकार को निजी क्षेत्र के उत्पादों की पूर्ति, वितरण और मूल्य नियंत्रित करने का अधिकार था।

ख) औद्योगिक अधिनियम का उद्देश्य एकाधिकार पर रोक लगाना नहीं था।

8.3 औद्योगिक नीति संकल्पए, 1948

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, भारत सरकार ने दो महत्त्वपूर्ण औद्योगिक नीति संकल्पों की घोषणा की थी - एक 1948 में और दूसरी 1956 में। वर्ष 1948 का औद्योगिक नीति संकल्प पूरे आठ वर्षों तक लागू रहा और इसने देश में औद्योगिक विकास की प्रकृति तथा स्वरूप को निर्धारित किया। बाद में तत्कालीन परिस्थितियों के दृष्टिगत, सरकार ने अपनी दूसरी औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा 1956 में की जिसने औद्योगिक नीति संकल्प 1948 का स्थान ले लिया।

8.3.1 उद्देश्य

इस औद्योगिक नीति संकल्प के मुख्य उद्देश्य थे :

क) ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना जिसमें सभी व्यक्तियों के लिए न्याय और अवसरों की समानता सुनिश्चित की जा सके;

ख) देश की गुप्त और उपलब्ध संसाधनों के दोहन के माध्यम से जनता के जीवन स्तर को तेजी से उठाने के लिए बढ़ावा देना;

ग) बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादन में तीव्रता लाना; और

घ) रोज़गार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराना।

तीव्र औद्योगिकरण के माध्यम से देश की सम्पदा में वृद्धि करने और इस प्रकार राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने पर ज़ोर दिया गया था।

8.3.2 विशेषताएँ

इस संकल्प की उल्लेखनीय विशेषताएँ निम्नवत् थीं :

क) इस संकल्प में भारत की औद्योगिक अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के महत्त्व को स्वीकार किया गया। इसमें उत्तरोत्तर राज्य को सक्रिय भूमिका प्रदान की गई और परिणामस्वरूप इस संकल्प में द्विआयामी रणनीति अपनाई गई :

   i) जिन क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र कार्य संचालन कर रहा था, उनमें और उत्पादन के नए क्षेत्रों में, इस क्षेत्र का विस्तार; और

   ii) निजी क्षेत्र के अस्तित्त्व और विस्तार की अनुमति प्रदान करना यद्यपि कि ऐसा समुचित दिशा निर्देश और विनियमन के अतर्गत हो।

इस संकल्प ने उद्योगों को चार श्रेणियों में विभाजित कर दिया और इस प्रकार इस संबंध में सारी अटकलों तथा आशंकाओं को समाप्त कर दिया। ये श्रेणियाँ निम्नवत् थीं :

i) **उद्योग जहाँ राज्य का एकाधिकार था**: इस श्रेणी में कार्यकलाप के तीन क्षेत्र विनिर्दिष्ट थे– आयुध और गोलाबारूद, परमाणु ऊर्जा और रेल यातायात। ii) **मिश्रित क्षेत्र** : इस श्रेणी में निम्नलिखित छः उद्योग विनिर्दिष्ट किए गए थे– कोयला, लौह तथा इस्पात, विमान विनिर्माण, जहाज निर्माण, टेलीफोन विनिर्माण, तार और बेतार (वायरलेस) उपकरण (रेडियो सेटों को छोड़ कर) तथा खनिज तेल। तथापि, इस क्षेत्र में विद्यमान निजी उपक्रमों को दस वर्षों तक कार्य करते रहने की अनुमति दी गई थी जिसके बाद सरकार स्थिति की समीक्षा करेगी और क्षतिपूर्ति के भुगतान के पश्चात् किसी भी उपक्रम का अधिग्रहण कर लेगी।

iii) **सरकारी नियंत्रण का क्षेत्र** : इस श्रेणी में राष्ट्रीय महत्त्व के 18 उद्योग सम्मिलित किए गए थे। सरकार ने इन उद्योगों के विकास का उत्तरदायित्व अपने ऊपर नहीं लिया किंतु उन्हें इतने महत्त्व का समझा कि उनका विनियमन और निदेशन आवश्यक था। इसमें सम्मिलित कुछ उद्योग थे : ओटोमोबाइल, भारी रसायन, भारी मशीनें, मशीन टूल्स, उर्वरक, विद्युत इंजीनियरिंग, चीनी, कागज़, सीमेण्ट, सूती और ऊनी वस्त्र। iv) **निजी उद्यमों के क्षेत्र** : अन्य सभी उद्योग (उपर्युक्त तीन श्रेणियों में सम्मिलित नहीं किए गए) निजी क्षेत्र के लिए खुले छोड़ दिए गए थे। तथापि, राज्य इस क्षेत्र में भी किसी उद्योग का उसकी प्रगति असंतोषप्रद रहने पर अधिग्रहण कर सकता था।

ख) इस संकल्प ने देश की स्थानीय संसाधनों के पूरे-पूरे उपयोग, रोज़गार के सृजन और उपभोक्ता वस्तुओं में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लघु-क्षेत्र के उद्योगों की प्रमुख भूमिका पर बल दिया। इस प्रकार, राज्य को उनके विस्तार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना था।

ग) इस संकल्प ने न सिर्फ सौहार्दपूर्ण और अच्छे श्रमिक-प्रबन्धन संबंध के महत्त्व को स्वीकार किया अपितु औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि के समानुपाति श्रम के हिस्से में भी वृद्धि पर बल दिया। इसने कामगार वर्गों के लिए उचित मज़दूरी तथा अच्छी कार्य दशा सुनिश्चित करने के लिए श्रम विधानों की आवश्यकता भी महसूस की।

घ) विकासशील अर्थव्यवस्था में विदेशी पूँजी की भूमिका और तीव्र औद्योगिकरण की नीतियों पर भी इस संकल्प ने पूरा-पूरा ध्यान दिया था।

8.3.3 आलोचनात्मक मूल्यांकन

इस नीति संकल्प के पीछे बुनियादी विचार औद्योगिक संगठन के पूँजीवादी स्वरूप को नियंत्रित करना और एक नया संस्थागत ढाँचा जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा गया, को शुरू करना था। यह इस दृष्टि से स्वागत योग्य विशेषता थी कि देश के औद्योगिकरण के कार्य को पूरी तरह से निजी क्षेत्र पर छोड़ देने की अपेक्षा सरकार को भी इसमें सक्रिय भूमिका अदा करने की अनुमति दी गई थी। जहाँ अन्य नीतियों के संबंध में सरकारी नीति की थोड़ी बहुत आलोचना हुई या कोई आलोचना नहीं हुई, यह महसूस किया गया कि उस श्रेणी जिसमें विद्यमान उद्योगों को निजी क्षेत्र में दस वर्षों तक कार्य करते रहने की अनुमति दी गई थी और जो अपने कार्यनिष्पादन की समीक्षा के पश्चात् सरकार द्वारा अधिग्रहित किए जा सकते थे के संबंध में राष्ट्रीयकरण का खतरा मौजूद था।

8.4 औद्योगिक नीति संकल्प, 1956

30 अप्रैल, 1956 को प्रधानमंत्री द्वारा लोक सभा में प्रस्तुत औद्योगिक नीति संकल्प ने 1948 के मूल औद्योगिक नीति संकल्प का स्थान लिया और यह अभी तक सरकार की औद्योगिक नीति का मार्गदर्शक बना हुआ है। जिन उल्लेखनीय कारकों ने सरकार को नई औद्योगिक नीति संकल्प की योजना बनाना आवश्यक कर दिया था वे थे : सभी नागरिकों को कतिपय मूल अधिकारों की गारंटी करने वाले भारत के संविधान का अधिनियमन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में 'समाज की समाजवादी व्यवस्था' का स्वीकार किया जाना; प्रथम पंचवर्षीय योजना का सफलतापूर्वक पूरा होना और तीव्र आर्थिक विकास के उद्देश्य के साथ देश के सम्मुख द्वितीय पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत करना।

8.4.1 उद्देश्य

औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे :

क) आर्थिक वृद्धि की दर को त्वरित करना तथा देश के औद्योगिकरण की गति को बढ़ाना;

ख) भारी उद्योगों और मशीन-बनाने के उद्योगों का विकास करना;

ग) सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार करना और बृहत् तथा वृद्धिशील सहकारी क्षेत्र का निर्माण करना; और

घ) निजी एकाधिकार और विभिन्न क्षेत्रों में कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में आर्थिक सत्ता के केन्द्रीकरण पर रोक लगाना।

8.4.2 विशेषताएँ

इस नीति संकल्प की अनेक मुख्य विशेषताएँ थीं जिसमें राज्य की भूमिका, उद्योगों का वर्गीकरण, श्रमिक-प्रबन्धन संबंध और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्राधिकार का विकेन्द्रीकरण सम्मिलित थे।

क) राज्य की प्रमुख भूमिका

राज्य उत्तरोत्तर रूप से नई औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना और यातायात की सुविधाओं के विकास के लिए प्रमुख और प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व ग्रहण करेगा। यह बड़े पैमाने पर राज्य व्यापार का कार्य भी करेगा। इसके साथ ही, यह नीति: i) उद्योगों को तकनीकी और वित्तीय सहायता का प्रावधान, ii) देश के विभिन्न प्रदेशों का संतुलित और समन्वित विकास, iii) औद्योगिक शांति और सद्भाव को बनाए रखना और iv) ग्रामीण और लघु उद्योगों की वृद्धि को त्वरित करना जैसे पहलुओं से संबंधित था।

ख) उद्योगों का वर्गीकरण

वर्ष 1948 के संकल्प में चार श्रेणियों की तुलना में, 1956 के संकल्प में उद्योगों को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया :

i) **राज्य का एकाधिकार:** पहली श्रेणी में, उन उद्योगों को सम्मिलित किया गया था जिनका भावी विकास अनन्य रूप से राज्य का उत्तरदायित्व होगा। इस श्रेणी में 17 उद्योगों को सम्मिलित किया गया था और उन्हें अनुसूची 'क' में सूचीबद्ध किया गया था। इन्हें निम्नलिखित पाँच वर्गों में समूहित किया जा सकता है : (क) रक्षा उद्योग, (ख) भारी उद्योग, (ग) खनिज, (घ) परिवहन और संचार, और (ङ) विद्युत। इनमें से चार उद्योग आयुध तथा गोलाबारूद, परमाणु ऊर्जा, रेलवे और विमान परिवहन को सरकारी एकाधिकार में रहना था। शेष 13 उद्योगों में राज्य को सभी नई इकाइयों की स्थापना करना था। तथापि, निजी क्षेत्र में विद्यमान इकाइयों के अस्तित्त्व और विस्तार की अनुमति दी गई।

ii) **सार्वजनिक और निजी उद्यम का मिश्रित क्षेत्र:** इस भाग में अनुसूची 'ख' में सूचीबद्ध 12 उद्योगों को सम्मिलित किया गया था। ये थे : अन्य सभी खनिज (गौण खनिजों को छोड़कर), सड़क परिवहन; समुद्र परिवहन, मशीन टूल्स, लौह-मिश्रधातु और टूल स्टील, रसायन उद्योगों द्वारा औषधियों, रंजक द्रव्यों और प्लास्टिक, एंटीबायटिक और अन्य आवश्यक औषधियाँ उर्वरक, सिन्थेटिक रबर, रासायनिक लुगदी इत्यादि के विनिर्माण हेतु अपेक्षित बुनियादी और मध्यवर्ती उत्पाद, कोयला का कार्बनीकरण और अल्युमिनियम तथा अन्य अलौह धातु जो पहली श्रेणी में सम्मिलित नहीं हैं। इन उद्योगों में राज्य अधिक से अधिक नई इकाइयों की स्थापना करेगा और अपनी भागीदारी बढ़ाएगा किंतु निजी क्षेत्र को इकाइयाँ स्थापित करने अथवा विद्यमान इकाइयों का विस्तार करने के अवसर से वंचित नहीं करेगा।

iii) **निजी क्षेत्र के लिए छोड़े गए उद्योग**: अनुसूची 'क' अथवा 'ख' में सूचीबद्ध नहीं किए गए सभी उद्योगों को तीसरी श्रेणी में सम्मिलित किया गया था। ये उद्योग निजी क्षेत्र के लिए खुले छोड़ दिए गए। उनका विकास निजी क्षेत्र की पहल और उद्यम पर निर्भर था, हालांकि इस क्षेत्र में भी राज्य कोई उद्योग शुरू कर सकता था। तथापि, इस श्रेणी में राज्य की मुख्य भूमिका निजी क्षेत्र को उसके विकास के लिए सुविधाएँ उपलब्ध कराना था।

ग) **लघु उद्योग**

ये उद्योग बड़े पैमाने पर तुरन्त रोज़गार उपलब्ध कराते हैं तथा पूँजी और कौशल जो अन्यथा अप्रयुक्त रह जाते हैं, के बेहतर पुनर्वितरण के लिए उपाय प्रस्तुत करते हैं। इन कारणों से, अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य बृहत् उद्योगों में उत्पादन की मात्रा प्रतिबंधित करके, विभेदक करारोपण, अथवा प्रत्यक्ष राजसहायता (सब्सिडी) और लघु क्षेत्र के लिए कतिपय उत्पादों के आरक्षण इत्यादि द्वारा लघु उद्योगों के पोषण का प्रयास करता रहा है। उत्पादन की तकनीक में सुधार और आधुनिकीकरण और उसके द्वारा उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

घ) **प्रादेशिक विषमताओं को दूर करना**

सरकार ने उन क्षेत्रों में, जो औद्योगिक रूप से पिछड़ रहे थे और जहाँ बड़े पैमाने पर रोज़गार की संभावनाएँ अधिक थीं, नियोजन के माध्यम से कुछ सुविधाएँ जैसे कच्चे माल, विद्युत की प्रचुर आपूर्ति, माल परिवहन की सतत् सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय किया। संकल्प ने इस बात पर बल दिया कि प्रत्येक प्रदेश में औद्योगिक और कृषि अर्थव्यवस्था का संतुलित और समन्वित विकास करने से ही पूरे देश में उच्च जीवन स्तर का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

ङ) **तकनीकी और प्रबन्धकीय कार्मिक**

तकनीकी और प्रबन्धकीय कार्मिकों की कमी को पूरा करने के लिए संकल्प ने सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण स्कीमों के आयोजन तथा विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थाओं में व्यापार प्रबन्धन (बिज़नेस मैनेजमेण्ट) में प्रशिक्षण सुविधाओं के विस्तार को प्रोत्साहित किया।

च) **प्रबन्धन में श्रमिकों की भागीदारी**

इस संकल्प में अच्छे औद्योगिक संबंध को बनाए रखने तथा प्रबन्धन के साथ सम्बद्ध होने के लिए कर्मकारों और तकनीशियनों के सम्मिलित परामर्श का प्रावधान किया गया था।

छ) **प्राधिकार का विकेन्द्रीकरण**

नीति में यह कहा गया था कि प्राधिकार का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए और उन्हें व्यापारिक उद्देश्यों का अनुसरण करना चाहिए। सार्वजनिक उद्यमों को, उनके कार्यकरण में, यथासंभव अधिक से अधिक स्वतंत्रता देनी होगी क्योंकि वे राज्य के संसाधनों में वृद्धि करते हैं और विकास के नए क्षेत्रों में निवेश के लिए और संसाधन उपलब्ध कराते हैं।

8.4.3 आलोचनात्मक मूल्यांकन

यह औद्योगिक नीति संकल्प अत्यन्त ही व्यापक है और इसमें नीतियाँ, प्रक्रिया, नियम एवं विनियम जो औद्योगिक उपक्रमों के नियंत्रण के लिए अनिवार्य हैं और औद्योगिकरण के स्वरूप को निर्धारित करते हैं सम्मिलित हैं। इसमें सरकार की राजकोषीय, मौद्रिक, टैरिफ तथा श्रम नीतियाँ और सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के प्रति इसका दृष्टिकोण अन्तर्विष्ट है। इसमें

विदेशी सहायता और आयात स्थानापन्न के प्रति सरकारी रवैये पर भी चिन्तन किया गया है। इन सभी विशेषताओं के मद्देनजर, 1956 की औद्योगिक नीति संकल्प को भारत के संविधान पर आधारित आर्थिक संविधान कहा जा सकता है।

तथापि, इस संकल्प की कटु आलोचना भी की गई। आलोचकों का विचार था कि यदि इस नीति को कड़ाई से लागू किया गया तो इसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र के पहले से ही अधिक दबाव में वित्तीय और प्रशासनिक संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ डालना होगा और यह इन अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में आर्थिक विकास की दर को सीमित करेगा। यह भी दलील दी गई कि इस नीति ने भारत में राज्य के पूँजीवाद और उद्यमी कार्यकलापों के उन्मूलन का पूर्वोदाहरण प्रस्तुत किया है। कुछ ने यह भय व्यक्त किया कि तकनीकी और प्रबन्ध कार्मिकों की कमी राज्य उद्यमों के दक्षतापूर्वक तथा लाभप्रद ढंग से संचालन में बड़ी बाधा बन सकती है। इस संकल्प ने इस बात को सामने रखा कि जब तक राज्य देश के औद्योगिकरण में सक्रिय भूमिका नहीं निभाता है, विकासशील अर्थव्यवस्था में समय-समय पर उत्पन्न होने वाली बुराइयों को दूर नहीं किया जा सकता है।

बोध प्रश्न 2

1) सही उत्तर पर (√) निशान लगाइए :
   क) पहली औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा की गई थी
      i) 1947
      ii) 1948
      iii) 1949
   ख) इस नीति संकल्प ने इसकी भूमिका पर जोर दिया।
      i) निजी क्षेत्र
      ii) सार्वजनिक क्षेत्र
      iii) निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों

2) औद्योगिक नीति संकल्प, 1948 की मुख्य विशेषताएँ बताइए।

.....

.....

.....

.....

.....

3) औद्योगिक नीति संकल्प ने उद्योगों का वर्गीकरण किस तरह से किया? (एक वाक्य में उत्तर दें)

.....

.....

.....

.....

.....

4) बताएँ, निम्नलिखित कथन सही हैं अथवा गलत :
वर्ष 1956 की औद्योगिक नीति संकल्प में
क) कर्मकारों और प्रबन्धन के बीच सहयोग पर जोर दिया गया।
ख) उद्योगों की स्थापना में राज्य की भूमिका को कम से कम किया गया।
ग) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए प्राधिकार के विकेन्द्रीकरण की सिफारिश की गई थी।

8.5 औद्योगिक लाइसेन्सिंग नीति : 1970 और उसके पश्चात्

उपरोक्त औद्योगिक नीतियों के कार्यकरण में अनेक त्रुटियाँ थीं। सबसे पहले, वे नियोजन की प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्य करने में असफल रहीं और बड़े घरानों के पक्ष में प्रभावी रूप से कार्य किया। इतना ही नहीं प्रादेशिक विषमता घटने की अपेक्षा बढ़ ही गई। इसके अतिरिक्त, दत्त समिति (जिसे औद्योगिक लाइसेन्सिंग नीति जाँच समिति के रूप में भी जाना जाता है) ने पाया कि औद्योगिक लाइसेन्सिंग नीति ने औद्योगिक नीति संकल्प की भावना के प्रतिकूल कार्य किया था। उदाहरण के लिए, न सिर्फ निजी क्षेत्र में विद्यमान तेल शोधक कारखानों को अपना प्रचालन ज़ारी रखने की अनुमति दी गई अपितु, उन्हें नए तेल शोधन संयंत्रों की स्थापना के लिए नए सिरे से लाइसेन्स भी ज़ारी किए गए।

आलोचनाओं के दृष्टिगत, दत्त समिति ने लाइसेन्सिंग प्रणाली में सुधार के लिए अनेक उपाय सुझाए। समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने फरवरी, 1970 में नई औद्योगिक लाइसेन्सिंग नीति की घोषणा की। इसके बाद 1973 में औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 में संशोधन किया गया।

8.5.1 वर्ष 1970 की औद्योगिक लाइसेन्सिंग नीति

दत्त समिति की अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार करते हुए, सरकार ने फरवरी, 1970 में नई औद्योगिक लाइसेन्सिंग नीति की घोषणा की। इस नीति की मुख्य विशेषताएँ थीं :

i) एक मुख्य क्षेत्र (Core Sector) जिसमें रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने वाले अथवा अन्यथा राष्ट्रीय महत्त्व के बुनियादी उद्योग सम्मिलित थे, की परिभाषा की गई। इसमें निम्नलिखित 9 क्षेत्रों में विभाजित उद्योग सम्मिलित थे : (क) कृषि आदान, (ख) लौह तथा इस्पात, (ग) अलौह धातु, (घ) पेट्रोलियम, (ङ) कूकिंग कोल, (च) भारी उद्योग मशीनें (विनिर्दिष्ट), (छ) जहाज निर्माण और निकर्षण पोत (समुद्र या नदी से कीचड़ निकालने वाला) का निर्माण, (ज) अखबारी कागज़, (झ) इलैक्ट्रॉनिक्स (चयनित घटक)। इन उद्योगों में से जो 1956 के संकल्प में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित कर दिए गए थे, इसके लिए आरक्षित रहेंगे जबकि अन्य सभी में बड़े औद्योगिक घरानों तथा विदेशी कंपनियों को भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।

ii) वर्ष 1970 की नीति ने एक अन्य क्षेत्र की परिभाषा की जिसे भारी निवेश क्षेत्र (Heavy Investment Sector) कहा गया। इसमें 5 करोड़ रु. से अधिक निवेश वाले उद्योग सम्मिलित थे। वर्ष 1956 के संकल्प में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों को छोड़ कर इस क्षेत्र में सभी अन्य उद्योग निजी क्षेत्र के लिए खोल दिए जाएँगे। यह बड़े घरानों और विदेशी

गई थी, के लिए बहुत बड़ी रियायत थी। इस रियायत ने अनेक विलासिता उद्योगों में बड़े घरानों को प्रवेश करने का अवसर दिया।

iii) मध्य क्षेत्र में 1 करोड़ रु. से 5 करोड़ रु. तक के बीच निवेश वाले उद्योगों को सम्मिलित किया गया था। इन उद्योगों के लिए लाइसेन्सिंग नीति को अत्यधिक उदार बनाया जाएगा तथा लाइसेन्सिंग प्रक्रियाओं को सरलीकृत किया गया।

iv) एक करोड़ रु. से कम निवेश वाले उद्योगों को लाइसेन्स रहित क्षेत्र (Unlicenced Sector) में रखा गया क्योंकि उनकी स्थापना के लिए लाइसेन्स की आवश्यकता नहीं होगी।

v) वर्ष 1970 की लाइसेन्सिंग नीति ने दत्त समिति द्वारा सिफारिश की गई संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा को, सिद्धान्त रूप में, स्वीकार कर लिया। यह नियम निर्धारित किया गया कि ऋण स्वीकृत करते समय अथवा डिबेंचरों में अभिदान करते समय सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों को विनिर्दिष्ट समयावधि में उन्हें इक्विटी में परिवर्तित करने का विकल्प होगा। इस प्रयोजन के लिए कुछ विशिष्ट दिशा निर्देश निर्धारित किए गए थे। परिवर्तनीयता खंड पर एक बार सहमति हो जाने के बाद, उपक्रम द्वारा कंपनी बोर्ड में ऋणदाता संस्था के प्रतिनिधियों को नियुक्त करना अपेक्षित था।

8.5.2 वर्ष 1973 का नीति वक्तव्य : 1956 की औद्योगिक नीति संकल्प में संशोधन

अगला महत्त्वपूर्ण औद्योगिक लाइसेन्सिंग नीति वक्तव्य 12 फरवरी, 1973 को आया। इस नीति वक्तव्य में, जिस मुख्य परिवर्तन की घोषणा की गई वह 'बड़े घरानों' की नई परिभाषा को अंगीकार करना था। वर्ष 1970 की नीति में, बड़े औद्योगिक घरानों की परिभाषा उन घरानों के रूप में की गई थी जिनकी परिसम्पत्तियाँ 35 करोड़ रु. से अधिक थीं। वर्ष 1973 की लाइसेन्सिंग नीति ने एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (एम आर टी पी) अधिनियम में प्रयोग की गई परिभाषा को स्वीकार किया जिसके अनुसार बड़ा औद्योगिक घराना वह था जिसके पास 20 करोड़ रु. से अधिक की परिसम्पत्तियाँ थीं। वर्ष 1970 की दो सिफारिशों को नई नीति में ठीक वैसे ही रखा गया- एक लाइसेन्सिंग से छूट देने और दूसरा संयुक्त क्षेत्र से संबंधित था।

इसी समय, 1956 के सकल्प में कतिपय महत्त्वपूर्ण संशोधन किए गए। वर्ष 1973 की नई नीति वक्तव्य में, सरकार ने "संयुक्त क्षेत्र" स्थापित करने की दत्त समिति के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। संयुक्त क्षेत्र की कल्पना एक ऐसे क्षेत्र के रूप में की गई जिसमें सार्वजनिक उद्यम और निजी उद्यम दोनों संयुक्त रूप से उत्पादन कार्यकलाप को संगठित करते हैं। इसके विचार में, संयुक्त क्षेत्र में ऐसी इकाइयाँ सम्मिलित होंगी जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों निवेश होगा और जहाँ राज्य निर्देशन तथा नियंत्रण में सक्रिय रूप से भाग लेता है। समिति ने महसूस किया कि जहाँ राज्य निजी क्षेत्र को इसके कार्यकलापों के विस्तार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, इसे न सिर्फ परियोजना के पूरा होने के बाद मिलने वाले लाभों में हिस्सा बँटाना चाहिए अपितु इसे प्रबन्धन में भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त करना चाहिए। समिति के अनुसार, यह आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण को कम करने में सहायता करेगा। तथापि, संयुक्त क्षेत्र की पूरी अवधारणा अस्पष्ट थी और औद्योगिक नीति वक्तव्य में इस अवधारणा को सम्मिलित कराने से यह और भी अस्पष्ट तथा निष्प्रभावी रह गई। तथापि, संयुक्त क्षेत्र इकाइयों की परिभाषा, वर्णन और संगठन के संबंध में कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया था।

बोध प्रश्न 3

1) वर्ष 1970 की औद्योगिक लाइसेन्सिंग नीति में किन क्षेत्रों की परिभाषा की गई थी ? (एक वाक्य में उत्तर दीजिए)

.....

.....

.....

.....

.....

2) वर्ष 1956 की औद्योगिक नीति संकल्प में कौन-कौन से संशोधन किए गए?

.....

.....

.....

.....

.....

3) सही उत्तर पर (√) निशान लगाइए :

क) वर्ष 1970 की नीति में बड़े औद्योगिक घरानों की परिभाषा उन घरानों के रूप में की गई जिनकी परिसम्पत्ति इससे अधिक थी।

i) 35 करोड़ रु.

ii) 20 करोड़ रु.

iii) 50 करोड़ रु.

ख) मध्य क्षेत्र में निवेश करने वाले उद्योग सम्मिलित थे।

i) 1-5 करोड़ रु. के बीच

ii) 5 करोड़ रु. से कम

iii) 2-6 करोड़ रु. के बीच

8.6 अस्सी के दशक में उदारीकृत औद्योगिक नीतियाँ

सरकार द्वारा 23 जुलाई, 1980 को घोषित औद्योगिक नीति वक्तव्य में 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प को दुहराया गया। इसके उद्देश्य की परिभाषा अधिष्ठापित क्षमता के अनुकूलतम उपयोग और उद्योगों के विस्तार के माध्यम से औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि को साध्य बनाने के रूप में की गई थी। इसमें उचित मूल्य पर वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ाकर, बड़ी संख्या में रोज़गार पैदा करना एवं प्रति व्यक्ति उच्च आय प्राप्त करके आम जन को लाभ पहुँचाने की दृष्टि से देश के तीव्र और संतुलित औद्योगिकरण पर बल दिया। नई नीति वक्तव्य द्वारा जो प्रमुख कृत्य निर्धारित किए गए वे थे मुख्य औद्योगिक आदानों जैसे ऊर्जा, परिवहन और कोयले की कमी की समस्या का समाधान करना। वक्तव्य में इस बात पर बल दिया गया कि औद्योगिकरण का लाभ जनसंख्या के सभी वर्गों तक पहुँचना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए इसने कृषि-आधारित उद्योगों के साथ अधिमानी व्यवहार के विस्तार, लघु, मध्यम और बृहत् उद्यमों के समन्वित विकास के माध्यम से आर्थिक संघ का संवर्धन, पिछड़े, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उद्योगों का प्रसार और उच्च मूल्यों तथा खराब गुणवत्ता वाली वस्तुओं से उपभोक्ताओं के संरक्षण की सिफारिश की। अनुकूलतम अन्तर-क्षेत्र संबंधों को बढ़ावा देने पर भी बल दिया गया।

वस्तुत: उदारीकरण की प्रक्रिया अस्सी के दशक के बीच में शुरू हो गई थी और नब्बे के दशक में इसका अभिर्भाव एकाएक नहीं हो गया था। लाइसेन्सिंग से छूट सीमा, विद्यमान क्षमता को पुन: समर्थन इत्यादि जैसे अनेक कदम उठाए गए। निम्नलिखत कुछ महत्त्वपूर्ण उपाय किए गए।

i) एम आर टी पी और 'फेरा' कंपनियों को छूट

औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने और निर्यात को बढ़ावा देने के नाम पर एम आर टी पी अधिनियम और फेरा (विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम) के अन्तर्गत आने वाली कंपनियों को अनेक रियायतें दी गईं। सरकार ने उद्योगों के 33 विस्तृत समूहों की सूची को विनिर्दिष्ट किया जिसमें एम आर टी पी और फेरा कंपनियाँ को क्षमता स्थापित करने की अनुमति दी गई बशर्ते कि संबंधित मद लघु क्षेत्र अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित नही हो। एम आर टी पी और फेरा कंपनियों को कई अन्य रियायतें जैसे क्षमता आधिक्य को नियमित करना, क्षमता को पुन: स्वीकृति देना और पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए सुविधाएँ प्रदान की गईं।

ii) लाइसेन्स समाप्त करना

उत्पादन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से सरकार ने उद्योगों के 28 व्यापक श्रेणियों और 82 थोक औषधियों तथा उनके निरूपण (निर्माण विधियों) के लिए लाइसेन्स को समाप्त कर दिया। अब इन उद्योगों के लिए सिर्फ औद्योगिक अनुमोदन हेतु सचिवालय में पंजीकरण अपेक्षित था, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत किसी लाइसेन्स की आवश्यकता नहीं थी। यह सिर्फ इस शर्त के अध्यधीन था कि संबंधित उपक्रम एम आर टी पी अधिनियम अथवा फेरा के क्षेत्राधिकार में नहीं आता था, कि विनिर्मित वस्तु लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित नहीं था और कि संबंधित उपक्रम विनिर्दिष्ट शहरी क्षेत्र के अंदर अवस्थित नहीं था। वर्ष 1989-90 के दौरान कुछ और उद्योगों के लिए लाइसेन्स समाप्त कर दिया गया।

iii) प्रचालन का न्यूनतम आर्थिक पैमाना

औद्योगिक लाइसेन्सिंग के क्षेत्र में जिस अन्य महत्त्वपूर्ण अवधारणा को लागू किया गया वह प्रचालन का न्यूनतम आर्थिक पैमाना था। यह 1986 में शुरू किया गया। इस विचार का उद्देश्य उपक्रमों के विद्यमान अधिष्ठापित क्षमता के विस्तार द्वारा प्रचालन के न्यूनतम आर्थिक पैमाना तक बड़े पैमाने की मितव्ययिता प्राप्त करने को प्रोत्साहित करना था। इस उद्देश्य को सामने रखते हुए 1989 तक 108 उद्योगों के लिए न्यूनतम आर्थिक क्षमता विनिर्दिष्ट किए गए थे। विद्यमान अधिष्ठापित क्षमताओं का इस न्यूनतम आर्थिक क्षमता तक विस्तार प्रोत्साहित किया गया। वर्ष 1989-90 के दौरान कुछ और उद्योगों के लिए न्यूनतम आर्थिक क्षमता विनिर्दिष्ट किया गया था।

iv) निर्यात उत्पादन के लिए प्रोत्साहन

सरकार ने निर्यात के विस्तार को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर अपनी औद्योगिक नीति तथा निर्यात-आयात नीति में विभिन्न रियायतों की घोषणा की। एम आर टी पी और फेरा कंपनियों को भी, यदि उनके उत्पाद मुख्य रूप से निर्यातोन्मुखी थे तो, अनुमति दी गई। इसके अतिरिक्त, सरकार ने कुछ उद्योगों की पहचान की जो निर्यात की दृष्टि से विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण थे। इन उद्योगों को प्राधिकृत क्षमता से 25 प्रतिशत अधिक उत्पादन करने की सामान्य अनुमत्य सीमा के अतिरिक्त एक योजना अविधि में 25 प्रतिशत की सीमा तक प्रतिवर्ष स्वत: 5 प्रतिशत वृद्धि की अनुमति दी गई।

v) लघु उद्योग इकाइयों और अनुषंगी इकाइयों के लिए निवेश सीमा में वृद्धि

जुलाई 1980 के वक्तव्य ने लघु उद्योगों के लिए 20 करोड़ रु. और अनुषंगी इकाइयों के

लिए 25 लाख रु. की निवेश सीमा निर्धारित की थी। अप्रैल 1991 में सरकार द्वारा ज़ारी अधिसूचना से उन दोनों की निवेश सीमा बढ़ा दी गई। अत्यन्त लघु उद्योगों के लिए निवेश की सीमा 5 लाख से बढ़ा कर 25 लाख कर दी गई। लघु उद्योग के लिए निवेश सीमा घटा कर 1999 में 1 करोड़ रु. कर दिया गया।

बोध प्रश्न 4

1) वर्ष 1980 के दशक में लाइसेन्सिंग नीति के उदारीकरण के संबंध में कौन से दो कदम उठाए गए थे?

.....

.....

.....

.....

.....

2) वर्ष 1980 के दशक में औद्योगिक नीति में निर्यात संवर्धन के लिए क्या प्रोत्साहन दिए गए थे ?

.....

.....

.....

.....

.....

8.7 सारांश

इस इकाई में देश में औद्योगिक विकास की प्रक्रिया को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए अक्टूबर 1951 में संसद द्वारा पारित उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम जो 8 मई, 1952 से लागू हुआ पर चर्चा की गई। यह दो प्रमुख प्रावधान प्रस्तुत करता है जो प्रतिबंधात्मक उपबंध और सुधारात्मक उपबंध के रूप में जाने जाते हैं।

इस अधिनियम के पारित होने से पूर्व, भारत सरकार ने अपनी पहली औद्योगिक नीति संकल्प 1948 में घोषित की थी। सामाजिक न्याय के साथ विकास और औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लक्ष्य से इसने उद्योग को चार क्षेत्रों में विभाजित किया : राज्य एकाधिकर, मिश्र क्षेत्र, विनियमित क्षेत्र और निजी क्षेत्र। बाद में तत्कालीन दशाओं के मद्देनजर, सरकार ने 1956 में अपनी दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा की जिसमें विनियमित क्षेत्र का कोई उल्लेख नहीं था। किंतु लघु उद्योगों और कर्मकार-प्रबन्धन के बीच अच्छे संबंधों के महत्त्व को स्वीकार किया गया।

वर्ष 1970 की लाइसेन्सिंग नीति में भारी निवेश क्षेत्र की परिभाषा की गई जिसमें 5 करोड़ रु. से अधिक निवेश वाले उद्योग सम्मिलित किए गए थे। वर्ष 1973 में औद्योगिक लाइसेन्सिंग वक्तव्य में जिस प्रमुख परिवर्तन की घोषणा की गई वह थी 'बड़े घरानों' की नई परिभाषा स्वीकार करना। बड़े औद्योगिक घरानों की परिभाषा उन घरानों के रूप में की गई थी जिनकी परिसम्पत्तियाँ 20 करोड़ रु. से अधिक थी, जबकि 1970 की नीति में इसके लिए

35 करोड़ रु. से अधिक की परिसम्पत्तियाँ विनिर्दिष्ट की गई थीं। इसके साथ ही, 1956 के संकल्प में कतिपय महत्त्वपूर्ण संशोधन किए गए। वर्ष 1973 की नई नीति वक्तव्य में सरकार ने दत्त समिति की "संयुक्त क्षेत्र" स्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।

वर्ष 1980 के दशक में औद्योगिक नीतियों की मुख्य विशेषताएँ लाइसेन्स समाप्त करने के उपाय और निर्यात उत्पादन के लिए प्रोत्साहनों का प्रावधान था। इतना ही नहीं, प्रचालन के न्यूनतम आर्थिक स्तरों तक उपक्रमों की विद्यमान अधिष्ठापित क्षमता के विस्तार द्वारा बड़े पैमाने की मित्व्ययिता को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु 108 उद्योगों के लिए न्यूनतम आर्थिक क्षमता विनिर्दिष्ट की गई।

8.8 शब्दावली

मुख्य क्षेत्र (Core Sector) : इस क्षेत्र में रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने वाले अथवा राष्ट्रीय महत्त्व के उद्योग सम्मिलित हैं जैसे लौह तथा इस्पात, पेट्रोलियम, जहाज-निर्माण, अखबारी कागज़।

फेरा : विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) ने भारतीय रिर्जव बैंक को विदेशी कंपनियों तथा भारत में विदेशी राष्ट्रिकों के कार्यकलापों को विनियमित करने का अधिकार दिया।

संयुक्त क्षेत्र : वह क्षेत्र जिसमें सार्वजनिक उद्यम और निजी उद्यम दोनों संयुक्त रूप से उत्पादन कार्यकलाप संगठित करते हैं।

मध्य क्षेत्र : वह क्षेत्र जिसमें निजी और सार्वजनिक उपक्रमों दोनों को कार्य संचालन की अनुमति प्रदान की गई।

एकाधिकार : वस्तु का एकमात्र उत्पादक।

लघु उद्योग : उद्योग जो 10-15 श्रमिकों की सहायता से संचालित किया जाता है।

8.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें एवं संदर्भ

अग्रवाल, ए.एन. (1996). *इंडियन इकानॉमी : प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपमेंट एण्ड प्लानिंग,* विश्व प्रकाशन।

बाला, एम., (2003). *सीमेण्ट इण्डस्ट्री इन इंडिया: पॉलिसी, स्ट्रकचर एण्ड पर्फोमेन्स,* शिप्रा पब्लिकेशंन्स, दिल्ली, अध्याय 2।

भगवती, जे.एन., और पी. देसाई, (1970). *इंडिया : प्लानिंग फॉर इन्डस्ट्रियलाइजेशन,* ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस; लंदन, 1970।

चौधरी, एस., (1998). "डिबेट्स ऑन इन्डस्ट्रियलाइजेशन"। बायर्स, टी.जे., संपा., *दि इंडियन इकानॉमी : मेजर डिबेट्स सिन्स इन्डीपेन्डेन्स,* ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस : दिल्ली।

मिश्रा, एस.के., और वी.के. पुरी, (2001). *इकनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट एण्ड प्लानिंग: थ्योरी एण्ड प्रैक्टिस,* हिमालय पब्लिशिंग हाउस।

मुखर्जी, डी., संपा., (1997). *इंडियन इण्डस्ट्री : पॉलिसीज एण्ड पर्फोर्मेन्स,* ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस : दिल्ली।

8.10 बोध प्रश्नों के उत्तर अथवा संकेत

बोध प्रश्न 1

1) उपभाग 8.2.1 पढ़ें।

2) (क) सही (ख) गलत।

बोध प्रश्न 2

1) (क) ii (ख) iii।

2) उपभाग 8.3.2 पढ़ें।

3) उपभाग 8.4.2 पढ़ें।

4) (क) सही (ख) गलत (ग) सही।

बोध प्रश्न 3

1) उपभाग 8.5.1 पढ़ें।

2) उपभाग 8.5.2 पढ़ें।

3) (क) i (ख) i

बोध प्रश्न 4

1) लाइसेन्स प्रदान करने के लिए छूट सीमा बढ़ाना, उद्योगों की 28 श्रेणियों और 82 औषधियों के लिए लाइसेन्स समाप्त करना।

2) भाग 8.5 पढ़ें।